INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन: न्याय, समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विशेष संदर्भ में

(Critical Evaluation of Jeremy Bentham's Theory of Utilitarianism with Special Reference to Justice, Equality and Individual Liberty)

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

शोध सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध-पत्र में ब्रिटिश दार्शनिक एवं विधि-विचारक जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत का न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। बेन्थम ने नैतिकता तथा शासन के मूल्यांकन के लिए अधिकतम सुख के सिद्धांत को आधार बनाया और प्रतिपादित किया कि कानून एवं सरकारी नीतियों का औचित्य उनके परिणामों तथा जनकल्याण में योगदान के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। उनके विचारों ने विधि-सुधार, दंड-व्यवस्था, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक सुधारों को वैचारिक आधार प्रदान किया। तथापि, उपयोगितावाद की सामूहिक सुख पर केंद्रित दृष्टि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों तथा न्याय के स्वतंत्र नैतिक आधार के संबंध में गंभीर प्रश्न भी उत्पन्न करती है। प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से बेन्थम के मूल लेखन तथा प्रमुख राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों का परीक्षण किया गया। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि उपयोगितावाद सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन और सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए प्रभावशाली दृष्टिकोण है, किंतु न्याय, समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पर्याप्त सुरक्षा के लिए इसे अधिकारों, निष्पक्षता और विधि के शासन से संबंधित सिद्धांतों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द (Keywords): जेरेमी बेन्थम, उपयोगितावाद, न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकतम सुख, राजनीतिक दर्शन, विधि का शासन।

प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक राजनीतिक दर्शन के विकास में जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham, 1748-1832) का स्थान एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विचारक, विधि-सुधारक तथा उपयोगितावाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थापित है। उन्होंने नैतिकता, कानून, शासन-व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोगिता को केंद्रीय आधार बनाया। उनके चिंतन का मूल उद्देश्य ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना था, जिसमें मानवीय सुख में वृद्धि हो, अनावश्यक दुःख को कम किया जा सके तथा कानून और प्रशासन जनकल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करें। बेन्थम ने प्रचलित राजनीतिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं को केवल परंपरा, धार्मिक मान्यता अथवा स्थापित सत्ता के आधार पर उचित मानने के बजाय उनके वास्तविक परिणामों की कसौटी पर परखने का आग्रह किया। इस

दृष्टिकोण ने राजनीतिक दर्शन को अधिक व्यावहारिक, तर्कसंगत और सुधारोन्मुख बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में प्रबोधन आंदोलन (Enlightenment) के प्रभाव से तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अधिकारों, विधिक सुधारों और शासन की वैधता से संबंधित प्रश्न प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे। निरंकुश राजसत्ता, परंपरागत विशेषाधिकारों तथा जटिल कानूनी व्यवस्थाओं की आलोचना के साथ ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, जो समाज के व्यापक हितों की पूर्ति कर सकें। इसी बौद्धिक परिवेश में बेन्थम ने नैतिकता और कानून के मूल्यांकन के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण विकसित किया। उनका विचार था कि किसी व्यवस्था की श्रेष्ठता केवल उसके ऐतिहासिक अस्तित्व या औपचारिक स्वरूप से निर्धारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि वह मानव जीवन को कितना सुखद, सुरक्षित और कल्याणकारी बनाती है। इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं के मूल्यांकन में परिणामों, सामाजिक हितों और व्यावहारिक उपयोगिता को विशेष महत्त्व प्रदान किया।

बेन्थम की प्रमुख कृति An Introduction to the Principles of Morals and Legislation का प्रारंभिक संस्करण 1780 में मुद्रित हुआ और पुस्तक 1789 में प्रकाशित हुई। इस रचना में उन्होंने उपयोगिता के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुःख की अनुभूतियों के अधीन रखा है तथा मानवीय आचरण को समझने में इन दोनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए किसी कार्य, कानून या सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उसके परिणामों से सुख में कितनी वृद्धि होती है और दुःख में कितनी कमी आती है। बेन्थम ने इसे उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Utility) कहा। उनके विचार में नैतिक एवं राजनीतिक निर्णयों का उद्देश्य केवल कुछ व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि संबंधित सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र कल्याण को बढ़ाना होना चाहिए। बेन्थम के उपयोगितावाद की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने समाज के हित को उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के हितों के समुच्चय के रूप में समझा। इस दृष्टिकोण में समाज को किसी अमूर्त इकाई के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक व्यक्तियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जिनके सुख-दुःख सार्वजनिक नीतियों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने सुख के मूल्यांकन के लिए तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, फलोत्पादकता, शुद्धता तथा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या जैसे तत्त्वों पर विचार किया। इस प्रकार उनका प्रयास नैतिक निर्णयों और सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन को व्यवस्थित तथा तर्कसंगत आधार प्रदान करना था। यद्यपि विभिन्न व्यक्तियों के सुख-दुःख को समान मापदंड पर मापने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी बेन्थम की यह अवधारणा नीतियों के लाभों और हानियों का तुलनात्मक परीक्षण करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बेन्थम के उपयोगितावाद का विशेष महत्त्व कानून और शासन-व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण में दिखाई देता है। उन्होंने कानून को केवल परंपरागत मान्यताओं या शासकीय आदेशों का संग्रह नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने और जनकल्याण को प्रोत्साहित करने वाला साधन समझा। उनके अनुसार, किसी कानून की उपयोगिता का परीक्षण इस आधार पर होना चाहिए कि वह सामाजिक सुरक्षा, शांति और कल्याण में कितना योगदान देता है तथा उससे उत्पन्न होने वाली हानि कितनी है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने विधिक सुधारों, दंड-व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और शासन की जवाबदेही से संबंधित प्रश्नों को

महत्त्व दिया। उनका चिंतन इस विचार को प्रोत्साहित करता है कि शासन की संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों को आलोचनात्मक समीक्षा के लिए खुला रहना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

हालाँकि, उपयोगितावाद की यही परिणाम-केंद्रित प्रकृति उसके समक्ष एक गंभीर नैतिक प्रश्न भी उपस्थित करती है। यदि किसी निर्णय से समाज के अधिकांश लोगों को लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसके कारण किसी व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, तो क्या उस निर्णय को केवल समग्र सुख में वृद्धि के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी नीति से बहुसंख्यक नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलता है, लेकिन किसी कमजोर समुदाय को उसके वैध अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, तो कुल लाभ और व्यक्तिगत न्याय के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि सामाजिक कल्याण की गणना करते समय व्यक्ति की गरिमा, अधिकारों और न्यायपूर्ण व्यवहार को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। इस समस्या के कारण उपयोगितावाद का मूल्यांकन केवल उसकी कल्याणकारी क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी आवश्यक है, जहाँ सामूहिक हित और व्यक्तिगत अधिकार परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं।

न्याय की अवधारणा के संदर्भ में बेन्थम के सिद्धांत का परीक्षण इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि न्याय और उपयोगिता हमेशा समान परिणाम नहीं देते। न्याय का संबंध केवल सामाजिक सुख की कुल मात्रा से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार होती है, निर्णय कितने निष्पक्ष होते हैं तथा सामाजिक लाभों और दायित्वों का वितरण कितना उचित है। यदि किसी व्यवस्था से समग्र सामाजिक लाभ बढ़ता है, लेकिन उसका भार समाज के किसी कमजोर वर्ग पर असमान रूप से पड़ता है, तो उसे न्यायपूर्ण मानने के लिए अतिरिक्त आधार की आवश्यकता होगी। जॉन रॉल्स जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए इस प्रश्न को प्रमुखता दी कि समाज के समग्र हित के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति की मूल स्वतंत्रताओं और अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार न्याय के संदर्भ में उपयोगितावाद का आलोचनात्मक अध्ययन उसके परिणामवादी दृष्टिकोण और अधिकार-आधारित न्याय की अवधारणा के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक है। समानता का प्रश्न भी उपयोगितावाद के विश्लेषण में केंद्रीय स्थान रखता है। बेन्थम के सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति के हितों को सामाजिक उपयोगिता के आकलन में शामिल करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस दृष्टि से किसी व्यक्ति के हित को केवल उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक प्रभाव के कारण अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी सभी व्यक्तियों के हितों को गणना में शामिल करना और उनके बीच वास्तविक समानता स्थापित करना दो अलग-अलग बातें हैं। संभव है कि किसी नीति से कुल सुख में वृद्धि हो, लेकिन उसका लाभ मुख्यतः संपन्न या प्रभावशाली वर्ग को प्राप्त हो, जबकि वंचित समूहों की बुनियादी आवश्यकताएँ अधूरी रह जाएँ। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के साथ-साथ अवसरों की समानता, भेदभाव-निषेध और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को किस सीमा तक सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में उपयोगितावाद की उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण सामाजिक न्याय की व्यापक समझ विकसित करने में सहायक है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में बेन्थम का चिंतन एक अलग प्रकार की वैचारिक चुनौती प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने

विचार व्यक्त करने, जीवन संबंधी निर्णय लेने और अपनी वैध गतिविधियों का संचालन करने में सक्षम होता है। बेन्थम ने प्राकृतिक अधिकारों की उस धारणा की आलोचना की, जिसके अनुसार अधिकारों को कानून और संस्थागत व्यवस्था से स्वतंत्र, पूर्ववर्ती तथा निरपेक्ष माना जाता है। उन्होंने अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा में कानून की भूमिका को महत्त्व दिया। उनके दृष्टिकोण से यह प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण था कि कानून व्यक्ति और समाज के हितों की रक्षा किस सीमा तक करता है। इस प्रकार उन्होंने अधिकारों तथा स्वतंत्रता के प्रश्न को व्यावहारिक विधिक व्यवस्था से जोड़ा। तथापि, यदि स्वतंत्रता को केवल सामाजिक उपयोगिता के अधीन रखा जाए, तो सामूहिक लाभ के नाम पर राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उपयोगितावादी सिद्धांत का परीक्षण इस आधार पर भी आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और राज्य के हस्तक्षेप के औचित्य के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है।

इस संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी चिंतन उपयोगी तुलनात्मक आधार प्रदान करता है। मिल ने अपनी कृति On Liberty (1859) में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर विचार करते हुए दूसरों को होने वाली हानि की रोकथाम को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रमुख औचित्य माना। यद्यपि मिल उपयोगितावादी परंपरा से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता और सुख के संबंध को अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार रॉल्स के न्याय-सिद्धांत ने मूल स्वतंत्रताओं और निष्पक्ष संस्थागत व्यवस्था को विशेष महत्त्व देते हुए यह प्रश्न उठाया कि क्या सामाजिक कल्याण की कुल मात्रा को प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर रखा जा सकता है। इन विचारों के आलोक में बेन्थम के सिद्धांत का अध्ययन करने से उपयोगितावाद के व्यावहारिक योगदान तथा उसकी नैतिक सीमाओं का अधिक संतुलित मूल्यांकन संभव होता है। समकालीन राजनीतिक व्यवस्था में भी उपयोगितावाद की प्रासंगिकता बनी हुई है। सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा और सीमित संसाधनों के वितरण जैसे क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों में संभावित लाभ, लागत, जोखिम और सामाजिक परिणामों का आकलन आवश्यक होता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को तर्कसंगत आधार प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह नीतियों के वास्तविक प्रभावों और व्यापक जनकल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नीति का मूल्यांकन करते समय उससे होने वाले लाभों के साथ उसके आर्थिक खर्च, सामाजिक प्रभाव और नागरिकों की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। किंतु किसी नीति की सफलता केवल उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या से निर्धारित नहीं की जा सकती; यह भी आवश्यक है कि उसके कारण किसी समूह के अधिकारों का अनुचित हनन न हो तथा लाभ और हानि का वितरण न्यायसंगत हो।

अतः जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद का अध्ययन केवल सुख की अधिकतम प्राप्ति से संबंधित नैतिक सिद्धांत की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक सत्ता, कानून, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संबंधों की पड़ताल भी करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में बेन्थम के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में उनकी उपयोगिता तथा सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उपयोगितावाद किस प्रकार सार्वजनिक नीतियों को जनकल्याणोन्मुख बनाने में योगदान देता है और किन परिस्थितियों में उसके परिणामवादी दृष्टिकोण को अधिकारों, निष्पक्षता तथा विधि के शासन से संबंधित मानदंडों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार

प्रस्तुत अध्ययन उपयोगितावाद को न तो पूर्णतः दोषरहित सिद्धांत मानता है और न ही उसकी सीमाओं के कारण उसे अनुपयोगी ठहराता है, बल्कि उसके योगदान और अंतर्विरोधों का संतुलित राजनीतिक एवं दार्शनिक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

शोध समस्या एवं अध्ययन का महत्त्व (Research Problem and Significance)

उपयोगितावाद का मूल उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति है, किंतु सामाजिक जीवन में सुख की वृद्धि और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के बीच हमेशा सामंजस्य नहीं होता। कोई सार्वजनिक नीति बहुसंख्यक व्यक्तियों को लाभ पहुँचा सकती है, फिर भी उसके परिणाम किसी छोटे समूह के अधिकारों, स्वतंत्रता अथवा हितों के प्रतिकूल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या समग्र सामाजिक लाभ को व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध की केंद्रीय समस्या यह है कि बेन्थम का उपयोगितावाद न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में किस सीमा तक सक्षम है। अध्ययन का महत्त्व इस तथ्य में है कि यह उपयोगितावाद की व्यावहारिक उपयोगिता के साथ उसकी नैतिक सीमाओं का परीक्षण करता है तथा स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना राजनीतिक दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व (Need and Significance of the Research)

जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सिद्धांत नैतिकता, कानून, शासन तथा सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर करता है। बेन्थम ने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के संबंध को उपयोगिता के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया, किंतु यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण बना रहता है कि क्या बहुसंख्यक लोगों के सुख के लिए किसी व्यक्ति या अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की उपेक्षा उचित मानी जा सकती है। प्रस्तुत शोध की आवश्यकता उपयोगितावाद के इसी अंतर्विरोध का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इसके अंतर्गत न्याय की निष्पक्षता, सामाजिक एवं आर्थिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के संदर्भ में बेन्थम के विचारों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जनकल्याण पर आधारित निर्णय-प्रक्रिया को किस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारों, विधि के शासन और न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ संतुलित किया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध उपयोगितावाद की सैद्धांतिक सीमाओं को समझने के साथ-साथ समकालीन लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक नीति के मूल्यांकन में इसकी प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत की मूल अवधारणाओं एवं प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना।
2. न्याय और समानता के संदर्भ में उपयोगितावाद की उपयोगिता तथा सीमाओं का मूल्यांकन करना।
3. समकालीन लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक नीति के संदर्भ में उपयोगितावाद की प्रासंगिकता स्पष्ट करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. बेन्थम का उपयोगितावाद न्याय और समानता की अवधारणाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है?

2. क्या अधिकतम सामाजिक सुख का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकता है?
3. उपयोगितावाद की प्रमुख सीमाएँ क्या हैं और उन्हें किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है?

उपकल्पना (Hypotheses)

1. बेन्थम का उपयोगितावाद सार्वजनिक कल्याण और विधिक सुधारों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है, किंतु न्याय के स्वतंत्र नैतिक आधार को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाता।
2. अधिकतम सुख की प्राप्ति का सिद्धांत समानता को प्रोत्साहित कर सकता है, परंतु उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा की संभावना बनी रहती है।
3. उपयोगितावाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि के शासन और निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संतुलित करने पर उसकी लोकतांत्रिक उपयोगिता अधिक प्रभावी हो सकती है।

साहित्यिक पुनरावलोकन (Review of Literature)

जेरेमी बेन्थम की मूल कृति An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) उपयोगितावाद के अध्ययन का प्राथमिक आधार है। इसमें उन्होंने सुख और दुःख को मानवीय व्यवहार तथा नैतिक निर्णयों के महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, किसी कार्य या सरकारी नीति का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसके परिणाम संबंधित व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करते हैं या दुःख को कम करते हैं। यह दृष्टिकोण नैतिकता, कानून और शासन के मूल्यांकन को परिणामों से जोड़ता है :

बेन्थम के राजनीतिक एवं विधिक चिंतन पर उपलब्ध आधुनिक अध्ययनों में उनके उपयोगितावाद को विधि-सुधार, दंड-व्यवस्था, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक सुधारों से संबंधित एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में प्रकाशित Jeremy Bentham संबंधी अध्ययन उनके विचारों की व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट करता है कि उपयोगिता का सिद्धांत कानून और सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

जॉन स्टुअर्ट मिल की कृति Utilitarianism (1861) उपयोगितावादी परंपरा के विकास को समझने में महत्त्वपूर्ण है। मिल ने सुख की गुणवत्ता तथा न्याय और उपयोगिता के संबंध पर विचार करते हुए उपयोगितावाद को अधिक परिष्कृत रूप देने का प्रयास किया। उनकी कृति On Liberty (1859) व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं और सामाजिक हस्तक्षेप के औचित्य की चर्चा करती है।

जॉन रॉल्स ने A Theory of Justice (1971) में उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि समाज के समग्र कल्याण के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका न्याय का सिद्धांत स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों के अधिकारों और निष्पक्ष संस्थागत व्यवस्था को प्राथमिकता देता है।

शोध-अंतराल (Research Gap): उपलब्ध साहित्य में उपयोगितावाद की व्याख्या और उसकी आलोचना पर पर्याप्त चर्चा मिलती है। प्रस्तुत अध्ययन में बेन्थम के मूल सिद्धांत का न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

के तीन परस्पर संबंधित आयामों के आधार पर समेकित मूल्यांकन किया गया है, जिससे उसके व्यावहारिक योगदान और नैतिक सीमाओं को एक साथ समझा जा सके।

शोध पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है तथा इसका आधार प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत बेन्थम की मूल रचनाओं और उपयोगितावादी दर्शन से संबंधित लेखन का अध्ययन किया गया। द्वितीयक स्रोतों में राजनीतिक दर्शन की मानक पुस्तकों, दार्शनिक अध्ययनों तथा न्याय एवं स्वतंत्रता संबंधी शोध-साहित्य को सम्मिलित किया गया। प्राप्त सामग्री का विषयवस्तु विश्लेषण करते हुए उपयोगितावाद की मूल मान्यताओं, उसके राजनीतिक अनुप्रयोगों तथा न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का परीक्षण किया गया। अध्ययन में काल्पनिक आँकड़ों के स्थान पर प्रामाणिक वैचारिक स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों को प्राथमिकता दी गई।

सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

इस अध्ययन का सैद्धांतिक आधार तीन प्रमुख अवधारणाओं पर केंद्रित है :

उपयोगितावाद (Utilitarianism): किसी कार्य, कानून या नीति का नैतिक मूल्यांकन उसके परिणामों और उससे उत्पन्न होने वाले समग्र सुख-दुःख के आधार पर किया जाता है।

न्याय एवं समानता (Justice and Equality): न्याय के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार तथा लाभों और भारों के उचित वितरण का परीक्षण किया गया है। समानता का अर्थ केवल समान व्यवहार नहीं, बल्कि यह भी है कि नीतियों के परिणाम विभिन्न व्यक्तियों और समूहों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Individual Liberty): व्यक्ति के विचार, निर्णय और कार्य करने की स्वतंत्रता के साथ-साथ राज्य द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के औचित्य का विश्लेषण किया गया है।

इन अवधारणाओं के आधार पर उपयोगितावाद का मूल्यांकन केवल समग्र सुख की वृद्धि तक सीमित न रखकर उसके वितरणात्मक और अधिकार-संबंधी परिणामों के संदर्भ में भी किया गया है।

जेरेमी बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत का स्वरूप (Nature of Bentham's Theory of Utilitarianism)

1. उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Utility)

बेन्थम के उपयोगितावाद का मूल आधार यह विचार है कि सुख की वृद्धि और दुःख की कमी मानवीय आचरण तथा सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन की प्रमुख कसौटी होनी चाहिए। उनके अनुसार, उपयोगिता वह गुण है जिसके कारण कोई कार्य या व्यवस्था लाभ, सुख अथवा कल्याण उत्पन्न करती है या हानि और दुःख को कम करती है। इस प्रकार किसी कानून की श्रेष्ठता केवल उसकी परंपरागत मान्यता या औपचारिक वैधता से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके सामाजिक परिणामों से भी निर्धारित होती है। बेन्थम ने समाज के हित को उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के हितों के योग के रूप में समझा। इस दृष्टिकोण में

प्रत्येक व्यक्ति के सुख को महत्त्व मिलता है, किंतु किसी नीति का अंतिम मूल्यांकन समग्र परिणाम के आधार पर किया जाता है। यही विशेषता उपयोगितावाद को परिणामवादी नैतिक सिद्धांत (Consequentialism) बनाती है।

2. सुख-दुःख का परिकलन (Hedonic Calculus)

बेन्थम ने सुख और दुःख के मूल्यांकन के लिए एक परिकलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, फलोत्पादकता, शुद्धता तथा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या जैसे तत्त्वों को महत्त्व दिया। इसका उद्देश्य नैतिक और विधिक निर्णयों को मनमानी धारणाओं के बजाय व्यवस्थित विचार पर आधारित बनाना था। राजनीतिक दृष्टि से यह विचार सार्वजनिक नीतियों के संभावित लाभ और हानि का तुलनात्मक आकलन करने में उपयोगी है। उदाहरण के लिए, किसी दंडात्मक कानून को बनाते समय उसके अपराध-निवारक प्रभाव के साथ निर्दोष व्यक्तियों को होने वाली संभावित हानि का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

हालाँकि, सुख-दुःख की अनुभूतियों को समान मापदंड पर मापना कठिन है। अलग-अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएँ, परिस्थितियाँ और अनुभव भिन्न होते हैं। इसलिए बेन्थम का परिकलन नैतिक निर्णयों को व्यवस्थित करने का प्रयास तो है, लेकिन इसे प्रत्येक परिस्थिति में सटीक गणना की विधि नहीं माना जा सकता।

3. अधिकतम सुख का सिद्धांत (Greatest Happiness Principle)

बेन्थम का प्रसिद्ध सिद्धांत अधिकतम सुख की प्राप्ति पर आधारित है। इसका आशय यह है कि व्यक्तिगत आचरण और सरकारी नीतियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाना चाहिए कि उनसे संबंधित व्यक्तियों के समग्र सुख में वृद्धि हो। शासन के संदर्भ में यह सिद्धांत सार्वजनिक हित, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण को महत्त्व देता है। इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह किसी नीति का मूल्यांकन केवल उसके घोषित उद्देश्यों से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक परिणामों से करने की प्रेरणा देता है। किंतु इसकी सीमा यह है कि कुल सुख में वृद्धि होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उसका वितरण न्यायपूर्ण हो। इसीलिए उपयोगितावाद के मूल्यांकन में सुख की मात्रा के साथ उसके वितरण और उससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों पर भी विचार करना आवश्यक है।

न्याय के संदर्भ में उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Utilitarianism in the Context of Justice)

न्याय राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है। इसका संबंध केवल सामाजिक सुख की वृद्धि से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि व्यक्तियों के अधिकारों, दायित्वों, अवसरों और संसाधनों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बेन्थम ने न्याय को उपयोगिता से अलग किसी स्वतंत्र प्राकृतिक मानक के रूप में स्वीकार करने के बजाय उसके व्यावहारिक अर्थ और सामाजिक परिणामों पर बल दिया। उनके लिए कानून और न्यायिक व्यवस्था का औचित्य इस बात से जुड़ा था कि वे सामाजिक हितों की रक्षा तथा दुःख की रोकथाम में कितने प्रभावी हैं :

1. **न्याय की उपयोगितावादी अवधारणा (Utilitarian Conception of Justice)**

बेन्थम की दृष्टि में न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करे और अनावश्यक पीड़ा को कम करे। इस दृष्टिकोण से न्यायिक निर्णयों, दंड-विधान और कानूनों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को पीड़ा पहुँचाना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य में होने वाली हानि को कम करना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता यह है कि यह न्याय को अमूर्त आदर्श तक सीमित न रखकर कानून और संस्थाओं के वास्तविक कार्य-निष्पादन से जोड़ता है। किंतु न्याय को केवल उपयोगिता के अधीन रखने से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि किसी अन्यायपूर्ण निर्णय से बहुसंख्यक लोगों को लाभ हो, तो क्या उसे उचित माना जा सकता है?

2. **न्याय की सीमाएँ और व्यक्तिगत अधिकार (Limits of Justice and Individual Rights)**

उपयोगितावाद की प्रमुख आलोचना यह है कि समग्र सुख पर अत्यधिक बल देने से किसी व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा की संभावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने से समाज में भय उत्पन्न हो और अपराधों में कमी आने की संभावना हो, तो केवल परिणामों पर आधारित गणना उस दंड को उचित ठहराने का जोखिम पैदा कर सकती है। वास्तविक न्याय-व्यवस्था में निर्दोषता की धारणा, निष्पक्ष सुनवाई और विधिसम्मत प्रक्रिया जैसे सिद्धांत इस प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जॉन रॉल्स ने इसी समस्या को स्पष्ट करते हुए तर्क दिया कि समाज के समग्र कल्याण के नाम पर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का बलिदान नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, न्यायपूर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की ऐसी सुरक्षा आवश्यक है जिसे केवल सामूहिक लाभ के आधार पर समाप्त न किया जा सके।

इस आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि बेन्थम की विचारधारा में सुरक्षा या न्याय का कोई स्थान नहीं है। उनके विधिक चिंतन में सुरक्षा, अपराध-निवारण और कानून की उपयोगिता महत्त्वपूर्ण थे। समस्या मुख्यतः यह है कि यदि अधिकारों की सुरक्षा को केवल समग्र उपयोगिता का साधन माना जाए, तो उनके संरक्षण की नैतिक गारंटी कमजोर हो सकती है। अतः न्याय के संदर्भ में उपयोगितावाद की उपयोगिता स्वीकार करते हुए यह आवश्यक है कि उसके अनुप्रयोग में निर्दोषता, निष्पक्ष प्रक्रिया और मूल अधिकारों की सुरक्षा को स्पष्ट स्थान दिया जाए।

समानता के संदर्भ में उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Utilitarianism in the Context of Equality)

समानता का प्रश्न उपयोगितावाद के लिए विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि सुख की कुल मात्रा में वृद्धि और उसका न्यायपूर्ण वितरण अलग-अलग परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसी समाज में उपलब्ध संसाधनों का बड़ा भाग संपन्न वर्ग के पास केंद्रित हो, तो कुल आर्थिक उत्पादन बढ़ने के बावजूद वंचित वर्गों की आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन यह देखकर करना चाहिए कि वह विभिन्न व्यक्तियों के हितों और आवश्यकताओं को किस सीमा तक ध्यान में रखता है :

1. **समान विचार और सामाजिक कल्याण (Equal Consideration and Social Welfare)**

बेन्थम के सिद्धांत में समाज का हित व्यक्तियों के हितों के समुच्चय से निर्मित होता है। इसका महत्त्व यह है कि सार्वजनिक नीति के निर्माण में किसी व्यक्ति के हित को केवल उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या राजनीतिक प्रभाव के कारण अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। सभी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को गणना में शामिल करना उपयोगितावादी दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधनों का वितरण करते समय यह भी विचारणीय है कि समान मात्रा में प्राप्त संसाधन विभिन्न व्यक्तियों के सुख पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मिलने वाली सहायता उसके जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इस प्रकार कल्याणकारी नीतियों को उपयोगितावादी आधार पर उचित ठहराया जा सकता है।

2. समानता और उपयोगिता के बीच अंतर्विरोध (Conflict Between Equality and Utility)

उपयोगितावाद की सीमा यह है कि वह समानता को प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्र और अनिवार्य लक्ष्य नहीं मानता। यदि असमान वितरण से समग्र सुख में अधिक वृद्धि होने का अनुमान हो, तो केवल उपयोगिता के आधार पर असमानता को स्वीकार किया जा सकता है। इसके विपरीत, समान वितरण से यदि कुल कल्याण में वृद्धि होती है, तो उपयोगितावाद उसका समर्थन कर सकता है। इसलिए उपयोगितावाद और समानता का संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बेन्थम के व्यापक विधिक एवं राजनीतिक चिंतन में समानता से संबंधित विचारों के साथ सुरक्षा और आजीविका जैसे उद्देश्यों का भी महत्त्व था; अतः उन्हें केवल असमानता को स्वीकार करने वाले विचारक के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। फिर भी उनकी मूल कसौटी समग्र उपयोगिता होने के कारण समानता की रक्षा के लिए अलग से स्पष्ट मानदंडों की आवश्यकता बनी रहती है।

आलोचनात्मक दृष्टि से निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए उपयोगितावाद प्रभावी आधार प्रदान करता है, लेकिन न्यायपूर्ण वितरण के लिए अवसरों की समानता, भेदभाव-निषेध और वंचित समूहों की आवश्यकताओं पर स्वतंत्र ध्यान देना भी आवश्यक है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Utilitarianism in the Context of Individual Liberty)

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, जीवन-निर्णयों और वैध गतिविधियों पर अनावश्यक नियंत्रण के अभाव से है। राजनीतिक दर्शन में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करने का अधिकार किन परिस्थितियों में प्राप्त होना चाहिए। बेन्थम ने स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्थापित करने के बजाय कानून और सामाजिक परिणामों के संदर्भ में समझने पर बल दिया। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की अमूर्त अवधारणाओं की आलोचना की और अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा में विधि की भूमिका को महत्त्व दिया :

1. **स्वतंत्रता और विधिक व्यवस्था (Liberty and Legal Order)**

बेन्थम के विचारों में कानून का उद्देश्य सामाजिक हितों की रक्षा और हानि को रोकना था। इस दृष्टिकोण से कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिबंध तभी औचित्यपूर्ण माना जा सकता है जब उससे होने वाला लाभ उसके कारण उत्पन्न हानि की तुलना में पर्याप्त हो। अनावश्यक दंड, अप्रभावी प्रतिबंध और अत्यधिक कठोर कानूनी व्यवस्थाएँ उपयोगितावादी कसौटी पर आलोचना के योग्य हैं। इस विचार की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि राज्य के प्रत्येक प्रतिबंध का मूल्यांकन उसके उद्देश्य, आवश्यकता और परिणामों के आधार पर किया जा सकता है। फिर भी यदि स्वतंत्रता की रक्षा को केवल उपयोगिता पर निर्भर कर दिया जाए, तो बहुसंख्यक समाज की पसंद के आधार पर किसी अल्पसंख्यक समूह की वैध स्वतंत्रता को सीमित करने का खतरा बना रहता है।

2. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएँ (Limits of Individual Liberty)**

उपयोगितावाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न तब जटिल हो जाता है, जब किसी व्यक्ति की गतिविधि को सामूहिक हित के प्रतिकूल माना जाता है। यदि राज्य यह निष्कर्ष निकाले कि किसी विचार, व्यवहार या जीवन-पद्धति पर प्रतिबंध लगाने से बहुसंख्यक लोगों को लाभ होगा, तो केवल समग्र उपयोगिता की कसौटी व्यक्ति की स्वतंत्रता को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकती। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी कृति On Liberty (1859) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह विचार प्रस्तुत किया कि सक्षम वयस्क व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रमुख औचित्य दूसरों को होने वाली हानि की रोकथाम है। मिल का यह दृष्टिकोण बेन्थम की उपयोगितावादी परंपरा से संबंधित होते हुए भी स्वतंत्रता के प्रश्न को अधिक स्पष्टता से सामने लाता है।

इस संदर्भ में बेन्थम की विचारधारा का योगदान यह है कि वह कानून और प्रतिबंधों को तर्कसंगत समीक्षा के अधीन करती है; उसकी सीमा यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की निश्चित और अपरिवर्तनीय सीमाओं की रक्षा के लिए अतिरिक्त मानदंडों की आवश्यकता पड़ सकती है।

अतः लोकतांत्रिक शासन में उपयोगितावादी नीति-निर्माण के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता, विधिसम्मत प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उपयोगितावाद की समग्र आलोचना एवं समकालीन प्रासंगिकता (Overall Critique and Contemporary Relevance)

बेन्थम के उपयोगितावाद का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने कानून, शासन और सार्वजनिक नीतियों को उनके वास्तविक सामाजिक परिणामों के आधार पर परखने का व्यवस्थित मानदंड प्रस्तुत किया। इससे प्रशासनिक दक्षता, दंड-व्यवस्था में सुधार, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक हित को राजनीतिक चिंतन के केंद्र में रखने में सहायता मिली। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ मूलभूत सीमाएँ हैं। पहली, विभिन्न व्यक्तियों के सुख-दुःख की तुलना और मापन कठिन है। दूसरी, समग्र सुख में वृद्धि आवश्यक रूप से उसके न्यायपूर्ण वितरण की गारंटी नहीं देती। तीसरी, केवल परिणामों के आधार पर निर्णय लेने से कभी-कभी व्यक्ति के अधिकारों और निष्पक्ष प्रक्रिया की उपेक्षा हो सकती है। चौथी, अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक सामाजिक परिणामों के बीच अंतर करना भी

चुनौतीपूर्ण है। इन सीमाओं के बावजूद उपयोगितावाद सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन में प्रासंगिक बना हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और संसाधन-वितरण से संबंधित नीतियों में संभावित लाभों तथा हानियों का आकलन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जा सकता है। किंतु ऐसी नीतियों का औचित्य निर्धारित करते समय केवल लाभार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है; प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार, कमजोर समूहों पर पड़ने वाला प्रभाव तथा लाभों और भारों का वितरण भी ध्यान में रखना चाहिए। जॉन रॉल्स के न्याय-सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक कल्याण के साथ मूल स्वतंत्रताओं तथा निष्पक्ष अवसरों की सुरक्षा को भी स्वतंत्र महत्त्व दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपयोगितावाद को न तो पूरी तरह अस्वीकार करना उचित है और न ही उसे न्याय तथा स्वतंत्रता के सभी प्रश्नों का पर्याप्त समाधान मानना। उसका अधिक संतुलित उपयोग तभी संभव है जब परिणामों के मूल्यांकन के साथ अधिकारों, निष्पक्षता और संवैधानिक सीमाओं का भी पालन किया जाए।

सुझाव (Suggestions)

1. सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में समग्र सामाजिक कल्याण के साथ व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को भी अनिवार्य महत्त्व दिया जाना चाहिए।
2. समानता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के लाभों और भारों का वितरणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेषकर वंचित समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में।
3. न्यायिक एवं दंडात्मक निर्णयों में सामाजिक लाभ के साथ निर्दोषता की धारणा, निष्पक्ष सुनवाई और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. राजनीतिक दर्शन के अध्ययन में बेन्थम के उपयोगितावाद की तुलना मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों और रॉल्स के न्याय-सिद्धांत से करके उसके योगदान तथा सीमाओं को अधिक स्पष्टता से समझा जाना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जेरेमी बेन्थम का उपयोगितावाद कानूनों, सरकारी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों का मूल्यांकन उनके सामाजिक परिणामों तथा सार्वजनिक कल्याण के आधार पर करने का प्रभावी सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। तथापि, समग्र सुख में वृद्धि अपने आप न्यायपूर्ण निर्णय की गारंटी नहीं देती, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकारों, अल्पसंख्यकों के हितों और निष्पक्ष प्रक्रिया की उपेक्षा की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार, सभी व्यक्तियों के हितों को महत्त्व देना उपयोगितावाद की प्रमुख विशेषता है, लेकिन वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के स्पष्ट मानदंड आवश्यक हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में यह सिद्धांत अनावश्यक प्रतिबंधों के औचित्य की समीक्षा करने में सहायक है, फिर भी सामूहिक कल्याण के नाम पर स्वतंत्रता के अनुचित हनन की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। अतः अध्ययन का समग्र निष्कर्ष है कि उपयोगितावाद की व्यावहारिक उपयोगिता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे न्याय, मूल अधिकारों, समानता, निष्पक्षता तथा विधि के शासन के साथ संतुलित रूप में अपनाना आवश्यक है।

जेरेमी बेन्थम का उपयोगितावाद आधुनिक राजनीतिक दर्शन की एक प्रभावशाली विचारधारा है, जिसने नैतिकता, कानून और शासन के मूल्यांकन में सामाजिक परिणामों तथा जनकल्याण को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। उनके अनुसार, किसी कार्य या सार्वजनिक नीति का औचित्य इस बात से निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह सुख में कितनी वृद्धि करती है और दुःख को किस सीमा तक कम करती है। इस दृष्टिकोण ने विधिक सुधार, दंड-व्यवस्था और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के अध्ययन को एक व्यवस्थित वैचारिक आधार प्रदान किया।

न्याय के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि उपयोगितावाद सामाजिक हितों की रक्षा और हानि की रोकथाम में उपयोगी है, किंतु समग्र सुख की वृद्धि को ही अंतिम कसौटी मानने पर व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा की संभावना बनी रहती है। समानता के संदर्भ में यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों के हितों को गणना में शामिल करता है, परंतु लाभों और अवसरों के न्यायपूर्ण वितरण की गारंटी अपने आप नहीं देता। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में यह अनावश्यक प्रतिबंधों की समीक्षा करने में सहायक है, लेकिन सामूहिक हित के नाम पर स्वतंत्रता के अनुचित सीमांकन को रोकने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक एवं नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है।

अध्ययन की पहली प्राक्कल्पना को इस निष्कर्ष से समर्थन मिला कि उपयोगितावाद सार्वजनिक कल्याण और विधिक सुधार के लिए प्रभावी आधार प्रदान करता है, किंतु न्याय की सभी समस्याओं का स्वतंत्र समाधान नहीं देता। दूसरी प्राक्कल्पना भी इस सीमा तक पुष्ट हुई कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण समानता को प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट मानदंड आवश्यक हैं। तीसरी प्राक्कल्पना के अनुसार, उपयोगितावाद को निष्पक्षता, विधि के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना उसकी लोकतांत्रिक उपयोगिता को बढ़ा सकता है।

अंततः, बेन्थम के सिद्धांत का महत्त्व सामाजिक कल्याण को राजनीतिक निर्णयों की प्रमुख कसौटी बनाने में है, जबकि उसकी मुख्य सीमा समग्र सुख और व्यक्तिगत न्याय के बीच संभावित टकराव में दिखाई देती है। इसलिए एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए केवल अधिकतम सुख की प्राप्ति पर्याप्त नहीं है; उसके साथ समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, निष्पक्ष संस्थाएँ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भी आवश्यक है। यही संतुलित दृष्टिकोण बेन्थम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. बेन्थम, जेरेमी. (1789). एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, टी. पेन।
2. मिल, जॉन स्टुअर्ट. (1859). ऑन लिबर्ट, जॉन डब्ल्यू. पार्कर एंड सन।
3. मिल, जॉन स्टुअर्ट. (1861). यूटिलिटेरियनिज्म, फ्रेज़र्स मैगज़ीन।
4. रॉल्स, जॉन. (1971). ए थ्योरी ऑफ जस्टिस , हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. क्रिमिन्स, जेम्स ई. (2017). जेरेमी बेन्थम. स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी।
6. स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी. (2017). न्याय.
7. वार्नॉक, मैरी (संपा.). (2003). यूटिलिटेरियनिज्म एंड ऑन लिबर्टी: इन्क्लूडिंग मिल्स 'एस्से ऑन बेन्थम' एंड सिलेक्शन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ जेरेमी बेन्थम एंड जॉन ऑस्टिन (द्वितीय संस्करण). वाइली-ब्लैकवेल।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM